कार्यालय अधिष्ठाता, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृतिशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.)
E-mail- gmcjagdalpur@gmail.com

क्रमांक / /शाचिम/क्रय/निविदा/2024 जगदलपुर, दिनांक : / /2024

निविदा सूचना

स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/सबंद्ध शहीद महेन्द्र कर्मा स्मृति, चिकित्सालय डिमरापाल, जगदलपुर एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डिमरापाल, जगदलपुर जिला बस्तर, में **सुरक्षा कार्य** प्रदान करने हेतु अधिष्ठाता, स्व. बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.) की ओर से प्रतिष्ठित एवं अनुभवी एजेंसियों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र कार्यालय अधिष्ठाता, स्व. बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर से निविदा शुल्क रूपये 2000/- (शब्दों में-दो हजार मात्र) डिमांड ड्राफ्ट अथवा नगद जमा कर दिनांक 05/03/2024 से 07/04/2024 तक कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते है, जो वापसी योग्य नही है। निविदा प्रपत्र बस्तर जिले के वेबसाईट – https://www.gmcjagdalpur.ac.in/ से भी डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। डाउनलोड निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 2000/- (शब्दों में-दो हजार मात्र) रूपये का डिमांड ड्राफ्ट अधिष्ठाता, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर के नाम से तैयार कर संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा नही खोली जावेगी।

इच्छुक एजेंसियों को पूर्व-योग्यता एवं तकनीकी बोली तथा समस्त निविदा प्रपत्र सह दस्तावेज अलग लिफाफा में तथा वित्तीय बोली अलग लिफाफा में सीलबंद कर, उक्त दोनों लिफाफा को एक सीलबंद लिफाफा में कार्यालय अधिष्ठाता, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर के नाम से रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट अथवा सीधे जमा किया जा सकता है।

भविष्य में किसी भी स्पष्टीकरण या शुद्धिपत्र को अधिष्ठाता, स्व. बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.) की क्रय समिति के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

1.	निविदा विक्रय की प्रारंभ तिथि	–	05/03/2024
2.	निविदा विक्रय की अंतिम तिथि	–	07/04/2024 शाम 05 बजे तक
3.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	–	16/04/2024 दोपहर 01 बजे तक
4.	निविदा खोलने की तिथि	–	16/04/2024 दोपहर 03 बजे से
5.	निविदा खोलने का स्थान	–	कार्यालय अधिष्ठाता, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.)।

नोट – सीलबन्द लिफाफा के ऊपर में **"Tender for Security Service"** स्पष्ट उल्लेख करें।

अधिष्ठाता
स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिष्ठाता

स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ0ग0)

स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अधीनस्थ शहीद महेन्द्र कर्मा स्मृति, चिकित्सालय एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डिमरापाल, जगदलपुर

के लिये

सुरक्षा कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

वर्ष 2024–25

Scanned with CamScanner

श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

द्वारा प्रचलित न्यूनतम वेतन

पदनाम	वेतन
सुरक्षा पर्यवेक्षक	श्रम विभाग, छत्तीगढ़ शासन द्वारा प्रचलित न्यूनतम वेतन
सुरक्षा कर्मी	

नोट :–

1. निविदाकर्ता को श्रम विभाग/जिलाधीश द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नियमों के अनुसार ही दरें प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।

2. पूर्व महीने के EPF Challan, ESI Contribution तथा Service Tax की रशीद प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही वर्तमान महीने के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

3. निविदाकर्ता को अपनी दरें प्राइज बिड फार्मेट के अनुसार ही देनी होगी जिसमें समस्त करें सम्मिलित होगी, उक्त दर के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान के लिये संस्थान जिम्मेवार नही होगा।

4. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 के अनुसार होगें।

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिष्ठाता
स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
डिमरापाल, जगदलपुर, बस्तर (छ0ग0)

प्री–क्वालीफिकेशन बिड

सुरक्षा कार्य हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय होने चाहिये अन्यथा उन्हें अमान्य कर दिया जावेगा साथ ही समस्त दस्तावेज नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

क्र0	विवरण
1	अमानत हेतु राशि रूपये 3,00,000/– (रूपये तीन लाख मात्र) का डी.डी. जो अधिष्ठाता स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर के नाम देय हो संलग्न की जाये।
2	पेन नम्बर प्रमाण पत्र।
3	जीवित लेबर लाईसेंस प्रमाण पत्र।
4	जीवित पसारा लाईसेंस प्रमाण पत्र (PSARA)।
5	साल्वेंसी प्रमाण पत्र (10 लाख का)।
6	सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
7	भविष्य निधि प्रमाण पत्र कोड सहित।
8	गुड्स एवं सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य।
9	एजेन्सी की वार्षिक टर्न ओव्हर पिछले तीन वर्षो में न्यूनतम 30 लाख रूपये प्रतिवर्ष (सी.ए./बैंक से प्रमाणित)।
10	वर्कमेन कम्पनसेशन पॉलिसी (जीवित) की छायाप्रति।
11	वित्तीय वर्ष 2022–23 में एजेंसी के द्वारा जमा किये गये कर्मचारी भविष्य निधि राशि (EPF) के संबंध में CA के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12	वित्तीय वर्ष 2022–23 में एजेंसी के द्वारा जमा किये गये कर्मचारी राज्य बीमा निगम राशि (ESIC) के संबंध में CA के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।
13	वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम –(कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें) नोटः यदि निविदाकार द्वारा विगत तीन वर्षो में संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अधीनस्थ संस्थाओं में कार्य संपादित किया गया हो तो संस्था प्रमुख द्वारा जारी कार्य गुणवत्ता के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
14	पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम माह तक ई.पी.एफ. एवं सर्विस टैक्स जमा की चालान की प्रति।
15	सार्वजनिक उपक्रमों/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में न्यूनतम तीन वर्ष सुरक्षा कार्य सफलतापूर्वक संपादन का अनुभव प्रमाण पत्र।
16	फर्म के भागीदारों की जानकारी नाम, पता, दूरभाष प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
17	कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
18	भारत सरकार द्वारा जारी एम.एस.एम.ई. (**MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES**) प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार छुट प्रदान की जावेगी।

Scanned with CamScanner

<u>टेक्निकल बिड</u>

इस बिड में कंपनी की कार्य योजना विवरण तथा कार्य विधि प्रस्ताव को संलग्न करना होगा।

<u>प्राइस बिड</u>

निविदाकर्ता निविदा में दिये गये फार्मेट में ही प्राईस बिड भरें। दिये गये फार्मेट में प्राईस बिड नही देने पर निविदा मान्य नही किया जावेगा।

<u>निविदा सूचना एवं शर्ते</u>

संस्था के अधीनस्थ निम्नलिखित संस्थानों के चल एवं अचल संपत्ति की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था एक वर्ष की अवधि के लिए ठेके पर देने हेतु अनुभवी सुरक्षा कम्पनियों से छत्तीसगढ़ भंडार नियमानुसार निविदाये आमंत्रित की जाती है :–

(1) शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर।

(2) शहीद महेन्द्र कर्मा चिकित्सालय डिमरापाल, जगदलपुर।

(2) सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डिमरापाल, जगदलपुर।

केवल वे ही अनुभवी कम्पनियॉ जिसको शासकीय/अर्द्धशासकीय वृहद संस्थान में सुरक्षा कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो एवं यह अनुभव चिकित्सालय में किये जाने वाले कार्य के स्वरूप के बराबर हो तथा <u>**छत्तीसगढ़ राज्य निजि सुरक्षा अभिकरण (विनिमय) नियम 2008 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा जारी लाइसेंस अथवा डायरेक्टर जनरल रीसेटलमैंट रक्षा मंत्रालय भारत शासन द्वारा पंजीकृत होना चाहिये**</u> निविदा में भाग ले सकता है।

1. छत्तीसगढ़ शासन के सभी भंडार क्रय नियम लागू रहेगें।

2. निविदाकार जिसकी निविदा स्वीकृत होगी, उसे छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमानुसार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय एजेंसी द्वारा एफडीआर या बैंक गारंटी के रूप में वार्षिक मूल्य (अनुबंध की समाप्ति के दो महीने बाद वापसी योग्य) के 3% के बराबर सुरक्षा जमा राशि प्रस्तुत करना होगा।

3. निविदाकर्ता को रूपये 3,00,000/– (रूपये तीन लाख मात्र) की अमानत राशि डी0डी0 के रूप में किसी भी **राष्ट्रीयकृत बैंक का जो अधिष्ठाता स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर** के पक्ष में देय हो, का डी0डी0 संलग्न कर, अधिष्ठाता, स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर के कार्यालय में एक सील बंद लिफाफे में जिसके ऊपर <u>सुरक्षा निविदा</u> लिखा हो, जमा करना होगा।

4. निविदाकर्ता को छत्तीसगढ़ शासन/शासन के किसी भी विभाग की काली सूची में नही होना चाहिए **(BLACK LISTED) काली सूची** में नाम होने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

Scanned with CamScanner

5. निविदाओं को न्यूनतम 1, 2, 3 के आधार पर निर्णय किया जायेगा। अधिष्ठाता स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर की क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि वह न्यूनतम– 1 से दर एवं शर्तो पर निगोशियेट कर सकेंगे।

6. निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व स्वयं के व्यय पर स्थल निरीक्षण किया जा सकता है, एवं इस संबंध में यदि अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी चाहता हो तो अधिष्ठाता स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।

7. निविदाकर्ता को श्रम कानूनो का पालन करना होगा।

8. निविदाकर्ता को भविष्य निधि नियमों का पालन करना होगा एवं सभी कर्मचारियों को जिन्हे वो नियोजित करेगा का ई.पी.एफ. प्रति माह ई.पी.एफ. खाते में जमा कराना होगा तथा रसीद/चालान की छाया प्रति इस संस्थान में प्रति माह जमा करना होगा।

9. किसी भी दिन निर्धारित संख्या से दो प्रतिशत से अधिक सुरक्षा कर्मचारी अनुपस्थित नही रहेंगें अन्यथा रूपये 200/– प्रति व्यक्ति की दर से दण्ड राशि देयक से कटौती की जावेगी।

10. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में भरे गये दर राज्य एवं केन्द्र सरकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए होना चाहिये।

11. ऐसे निविदाकर्ता जिनकी निविदाएं अस्वीकृत की जाती है, तो उनकी अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लौटायी जायेगी।

12. निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित कराने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी।

13. अधिष्ठाता स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर को किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना निविदाकर्ताओं को कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

14. ऐसी निविदाएं जो सशर्त प्रस्तुत की गई हो स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

15. सुरक्षा ठेका एक वर्ष की अवधि हेतु दिया जायेगा। ठेके की अवधि आवश्यकतानुसार तीन माह या अधिक समय के लिये इन्हीं स्वीकृत दर एवं शर्तो के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी।

16. यदि कम्पनी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन का भुगतान अथवा किसी कर्मचारियों को वेतन न मिलने की शिकायत प्राप्त होती है तो प्रबंधन द्वारा उक्त कर्मी को कम्पनी की ओर से सीधा भुगतान कर दिया जायेगा एवं ऐजेंसी से उक्त राशि वसूल की जावेगी। श्रम कानूनों के अंतर्गत निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने की जवाबदारी एजेंसी की होगी।

Scanned with CamScanner

17. प्रबंधन सामान्य दशा में एक माह की पूर्व सूचना देकर सुरक्षा ठेका समाप्त कर सकता है परन्तु कंपनी को सामान्य दशा में अनबुंध समाप्त करने हेतु तीन माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। अनुबंध का उल्लघंन एंव चूक करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि जांच के पश्चात् सुरक्षा ठेका निरस्त कर सकेगा एवं ऐसे प्रकरण में जमा की गई प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

18. कंपनी को सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व प्रबंधन से अनुमति लेना आवश्यक होगा। किसी भी सुरक्षा कर्मी के आचरण/व्यवहार में शंका पाये जाने की स्थिति में प्रबंधन द्वारा सूचना दिये जाने की स्थिति में एजेंसी द्वारा उक्त कर्मी को तत्काल हटाना होगा।

19 कंपनी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान एवं नियमानुसर एलाउन्स देगी। यह भुगतान समय-समय पर श्रमायुक्त/जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नही होगे।

20. यदि किसी अधिनियम के उल्लघंन बाबत् प्रबंधन को नोटिस प्राप्त होता है एवं कोई आर्थिक दण्ड निर्धारित किया जाता है, तो प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि उक्त राशि कंपनी को भुगतान किये जाने वाले देयक में समायोजित करे।

21. कंपनी के कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार की यूनियन की गतिविधियों में भाग नही लेगा। यदि कोई भी कर्मचारी इस प्रकार की तिविधियों में भाग लेता पाया जाता है तो उक्त कर्मी को तत्काल हटाना होगा।

22. प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये प्रभावी कदम उठाने हेतु कंपनी उत्तरदायी होगी।

23. कंपनी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन करता है तो प्रबंधन को सुरक्षा ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा तथा जमा अमानत राशि राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।

24. कंपनी द्वारा अग्नि बुझाने वाले उपकरणों का रख रखाव सुनिश्चित करना होगा एवं उनका समय-समय पर निरीक्षण/परीक्षण करना होगा, ताकि ऐसी घटनायें घटित होने पर त्वरित गति से काबू पाया जा सके।

25. प्रबंधन को अनुबंध की शर्तो को संशोधित करने, निरस्त करने एवं नई शर्तो को जोड़ने का अधिकार होगा। इसके लिये बिना कारण बताये एक माह की पूर्व सूचना कंपनी को दी जावेगी।

26. प्रबंधन के परिसर में धूम्रपान/मदिरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लघंन किया जाता है तो प्रबंधन को स्वविवेक से कंपनी पर जुर्माना करने का एवं ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त करने का अधिकार होगा।

27. कंपनी अपने कर्मचारियों के ई.पी.एफ. आदि अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका सम्पूर्ण रिकार्ड एजेंसी द्वारा स्वयं रखा जावेगा तथा सत्यापन हेतु यह रिकार्ड प्रबंधन को प्रस्तुत किया जावेगा।

28. सुरक्षा कर्मियों की संख्या प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जावेगी। यह संख्या प्रबंधन द्वारा स्वविवेकानुसार समय-समय पर घटाई बढ़ाई जा सकेगी।

29. समस्त विवाद जगदलपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही निपटाये जावेंगें।

Scanned with CamScanner

30. कंपनी को कान्ट्रेक्ट लेबर रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन एक्ट के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट/पी.एफ. एक्ट/न्यूनतम वेतन अधिनियम/बोनस एक्ट व लागू होने वाले अन्य समस्त श्रम नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा। सम्बंधित श्रम निरीक्षक/पी.एफ. निरीक्षक द्वारा समय-समय पर मांगे जाने पर रिकार्ड का अवलोकन कराना अनिवार्य होगा। यदि एजेंसी इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों का पालन करने में असफल रहती है तो ऐसी दशा में एजेंसी पर की गई पेनाल्टी शासकीय खाते में जमा कर दी जावेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति एजेंसी की देयक राशि/प्रतिभूति राशि से कटौती कर की जावेगी।

31. निविदाकार द्वारा सुरक्षा कर्मियों को कलेक्टर द्वारा स्वीकृत दर पर भुगतान किया जायेगा।

32. सफल निविदाकार को संस्था प्रमुख के साथ एक वर्ष का अनुबंध संपादित करना होगा।

33. सफल निविदाकार को सभी सुरक्षा कर्मियों का ई.पी.एफ. कार्यालय द्वारा प्रदत्त ई. पी.एफ. नंबर की लिस्ट एक माह के अंदर जमा करना होगा अन्यथा अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।

34. एजेंसी सुरक्षा कर्मियों से संबंधित विभिन्न श्रम, औद्योगिक और लागू होने वाले किसी भी अन्य कानूनों के प्रावधानों और सभी वैधानिक दायित्वों, जैसे मजदूरी, भत्ते, मुआवजा, ईपीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी, ईएसआई आदि के अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.) का इस संबंध में कोई दायित्व नही होगा।

35. सुरक्षा कार्य हेतु कम्पनी द्वारा रखे गये सुरक्षा कर्मचारियों को अग्निशमन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक होगा।

36. कम्पनी द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु रखे गये सुरक्षा कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी प्रबंधन की नही होगी।

37. आयकर नियमों के अनुसार कम्पनी को उक्त अनुबंध के आधार पर होने वाली आय, आयकर के योग्य होगी एवं नियमानुसार कम्पनी से आयकर की कटौती की जावेगी। आयकर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

Scanned with CamScanner

–: कार्य की प्रकृति, विस्तार एवं शर्तें :–

(1) सुरक्षा एवं व्यवस्था :–

(क) उपरोक्त वर्णित अनुसार महाविद्यालय के सम्पूर्ण परिसर जिसमें संबंध शहीद महेन्द्र कर्मा अस्पताल, हॉस्टल, आवासीय परिसर इत्यादि सम्मिलित है, के सुरक्षा का प्रबंध योजना अनुसार उचित प्रबंध करना होगा।

(ख) कंपनी को उपरोक्त व्यवस्था हेतु आठ घंटे की तीन पालियों में चौबीसों घंटे हेतु सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होगीं

(ग) सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत कम्पनी को भवन एवं परिसर में, उनमें कार्यरत कर्मचारियों, रोगियों एवं उनके परिजनों तथा छात्र–छात्राओं के जानमाल की एवं परिसर के समस्त चल–अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा।

(घ) कंपनी का यह भी कर्तव्य होगा कि भवन एवं प्रांगण में व्यवस्था बनाये रखने में प्रबंधन की सहायता करें तथा वाहन आदि निश्चित स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से रखें जावें।

(ड़) कंपनी द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में किसी अवांछित वस्तुओं का प्रवेश एवं निर्गमन प्रतिबंधित किया जायेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि महाविद्यालय प्रबंधन की सक्षम स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री का प्रवेश अथवा निर्गमन न हो। शंका के मामले में सुरक्षा अधिकारी आगंतुकों द्वारा लाई जा रही अथवा बाहर ले जा रही सामग्रियों, ब्रीफकेस, बैग, वाहन इत्यादि की जांच कर सकेगा तथा शंकास्पद अथवा अवैधानिक सामग्री पाये जाने पर सक्षम अधिकारी को सूचित करेगा, ताकि ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके। ऐसी कार्यवाही कराने में कम्पनी एवं उसके सुरक्षाकर्मी का सहयोग अनिवार्य होगा।

(च) बिना किसी उचित कारण के अथवा संदेहास्पद स्थिति में परिसर में घूमने वालों से पूछताछ कर आवश्यक एवं उचित कार्यवाही करनी होगी। परिसर में विचरण करने वाले व्यक्तियों पर उचित निगरानी रखनी होगी।

(छ) कम्पनी का यह भी दायित्व होगा कि परिसर के अनाधिकृत उपयोग एवं दुरूपयोग रोकने में प्रबंधन की सहायता करें। उसे वाहनों की अनाधिकृत पार्किंग रोकने व ठेला या दुकान लगाने अथवा अन्य सामग्रियों के विक्रय हेतु व्यक्तियों के बिना सक्षम स्वीकृति प्रवेश रोकने तथा जानवरों के प्रवेश रोकने एवं बाहर करने की व्यवस्था करनी होगी। परिसर में शराबी, आवारा एवं भिखारियों को प्रवेश से रोकने तथा उन्हे परिसर से बाहर करने की जिम्मेदारी होगी।

(ज) किसी भी विवाद, दुर्घटना, हानि, चोरी या संपत्ति को नुकसान, परिसर में गंदी फैलाने को रोकने की जिम्मेदारी होगी एवं घटित होने पर सूचना तत्काल संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/संयुक्त संचालक सह अधीक्षक को लिखित रूप में दी जावेगी।

(2) महाविद्यालय में प्रवेश व्यवस्था :–

(अ) स्थाई परिचय पत्र :–

परिसर में स्थित कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र–छात्राओं व नर्सो को प्रबंधन द्वारा स्थाई परिचय पत्र जारी किये जावेंगे। वे कार्यालयीन समय में बिना रोक–टोक के आ जा

Scanned with CamScanner

सकेंगे। कार्यालयीन समय के बाद रूकने अथवा आने जाने वाले ऐसे परिचय पत्र धारी व्यक्तियों की प्रतिष्टि आगंतुक पंजी में की जावेगी।

माननीय सांसद/मंत्री/विधायकगण एवं शासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों हेतु कोई परिचय पत्र जारी नही किया जायेगा। इनकी सूचना सुरक्षा अधिकारी के पास उपलब्ध रहेगी। जो उन्हें ससम्मान प्रवेश की अनुमति देंगे। रोगियों तथा परिजनों एवं जनप्रतिनिधियों, प्रेस कर्मियों, अधिकारियों के साथ व्यवहार नम्रतापूर्वक एवं शिष्ट होना चाहिये। अशिष्टता एवं शारीरिक बल प्रयोग करने वाले सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति स्वीकार नही की जावें। दोषी कर्मचारियों को दण्डित करने की कार्यवाही कम्पनी की होगी।

प्रेस तथा फोटोग्राफी से संबंधित कार्य के लिये प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की गेट पर प्रविष्टि अधिष्ठाता/संयुक्त संचालक सह अधीक्षक अथवा उनकी अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति मिलने के बाद देंगे।

मेडिकल रिप्रसेंटेटिव तथा अन्य व्यवसायिक प्रतिनिधियों को प्रवेश हेतु महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा निर्धारित समय पर ही अनुमति दिया जाना है।

(ब) **बाह्यरोग विभाग (ओपीडी) :–**

ओपीडी भवन में कार्य समय प्रातः 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा, उक्त अवधि में सामान्यतः सभी को प्रवेश दिया जायेगा। केवल उन तत्वों पर निगरानी रखनी होगी, जो बिना उचित कारण के अथवा संदेहास्पद स्थिति में घूम रहे हो/व्यवस्था को हानि पहुंचा रहे हों। इस कार्यावधि पश्चात् ओपीडी आगंतुकों के लिये बंद हो जावेगा।

(स) **अस्पताल अंतःरोगी विभाग :–**

अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलने का समय सायं 5:00 बजे से 7:00 बजे तक है, उक्त अवधि में सामान्यतः सभी को प्रवेश दिया जावेगा। उक्त अवधि पश्चात् एवं अन्य समय में बिना समुचित प्रवेश पत्र के अस्पताल भवन के भीतर प्रवेश वर्जित होगा।

(3) **अन्य भवनों की निगरानी :–**

परिसर में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सालय, छात्रावास व अन्य कार्यालयों में कम्पनी के सुरक्षा कर्मचारियों को इन भवनों के बाहर प्रांगण की निगरानी रखने, असामाजिक तत्वों को रोकने हेतु सुरक्षा कर्मचारी रखने होंगे।

(4) **सुरक्षा हेतु कर्मचारियों को रखा जाना व तैनाती :–**

क्र	संस्था का नाम	सुरक्षा कर्मी	सुपरवाईजर	सुरक्षा अधिकारी	रिमार्क
01	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल				
02	शहीद महेन्द्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय डिमरापाल				
03	सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल				

कम्पनी द्वारा उपरोक्त दर्शाये अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु समुचित संख्या में सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था करना होगा, तैनाती व कार्य योजना के अनुसार तथा

Scanned with CamScanner

आवश्यकतानुसार अन्य जगहों पर सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती एवं टहलदारी के बिन्दुओं का निर्धारण किया गया है। प्रबंधन के साथ आपसी चर्चा के बाद बदला जा सकता है।

(5) किसी भी तरह के नशे व धुम्रपान महाविद्यालय/अस्पताल परिसर में प्रतिबंधित है। इसे लागू करने उचित प्रबंध करने होंगे।

(6) विभिन्न प्रकार के विस्फोटक की आवाजाही तथा उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

(7) <u>कम्पनी का भुगतान :–</u>

(क) कम्पनी को एकमुश्त मासिक दर से भुगतान की जावेगी जिसमें सेवाशुल्क सहित सभी प्रकार के व्यय सम्मिलित होगा।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त कम्पनी को किसी भी राशि का भुगतान नही किया जायेगा। पर्यवेक्षण, विविध अधिनियमों के पालन, कर्मचारियों को सामग्रियों का प्रदाय इत्यादि का समस्त व्यय कम्पनी को करना होगा, किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नही की जावेगी।

(ग) कम्पनी के द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मचारियों के वेतन, सेवा शर्तो, स्वत्वों एवं उनके अधिकारों तथा विवादों की कोई जिम्मेदारी महाविद्यालय/चिकित्सालय प्रबंधन की नही होगी।

(घ) कम्पनी द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मचारी महाविद्यालय/चिकित्सालय प्रबंधन के कर्मचारी नहीं होंगे। कार्य समाप्त होने पर उनकी कोई जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबंधन की नही होगी।

(च) बजट के अभाव में यदि महाविद्यालय द्वारा एजेंसी को भुगतान करने में विलंब होता है तो एजेंसी अपने अधीनस्थ कर्मियों को स्वयं भुगतान करेगी, जिसका समायोजन महाविद्यालय को बजट प्राप्त होने पर किया जावेगा।

<u>(8) अधिनियमों का पालन :–</u> कम्पनी को निम्न अधिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा :–

(क) मिनिमम वेजेंस एक्ट 1948.

(ख) श्रम ठेका अधिनियम 1970.

(ग) एम्पलाई प्राविडेंट फण्ड एक्त 1952.

(घ) डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंन्ट में पंजीकृत होना चाहिए अथवा आई.एस.ओ. 9001 प्रमाणित हो।

इसके अतिरिक्त किसी अधिनियम का यदि श्रम कानून के अन्तर्गत पालन करना अनिवार्य हो तो ऐसी करना होगा तथा कम्पनी को श्रम विभाग से आवश्यक पंजीयन प्राप्त करना होगा।

Scanned with CamScanner

चेप्टर – 4: प्राइस बिड

विवरण :–

अधिष्ठाता, स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डिमरापाल, जगदलपुर के लिए **प्राइस कोड –**

संस्थान का नाम	सुरक्षा गार्ड की संख्या	पर्यवेक्षक की संख्या
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/शहीद महेन्द्र कर्मा स्मृति, चिकित्सालय एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डिमरापाल, जगदलपुर		

यह स्पष्ट किया जाता है कि समेकित और सभी समावेशी कोड दरों में छ.ग. सरकार के न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी घटक शामिल नहीं होना चाहिए, साथ ही न्यूनतम मजदूरी पर छत्तीसगढ़ शासन के आदेश की प्रति के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि न्यूनतम मजदूरी दर में राज्य शासन द्वारा संशोधित किये जाने न्यूनतम मजदूरी दर में संशोधन की सुविधा मिल सकें।

बी : प्राइस बिड प्रारूप :–

विशिष्ट	न्यूनतम मजदूरी (जैसा लागू हो)	ई.पी.एफ. (जैसा लागू हो)	ईएसआईसी (जैसा लागू हो)	सेवा प्रभार	जीएसटी (जैसा लागू हो)	कुल
पर्यवेक्षक (कुशल)						
गार्ड (अकुशल)						

सेवा शुल्क प्रति व्यक्ति प्रति माह मूल के 1% से कम नहीं होना चाहिए। इसमें सभी शुल्क भी शामिल होंगे। बोनस, अवकाश वेतन, वर्दी, बीमा, ठेकेदार मार्जिन और अन्य टैक्स यदि कोई लागू हो (जीएसटी को छोड़कर)।

- रूपये में प्रति माह प्रति व्यक्ति प्रभारित की जाने वाली राशि। यह मूल रूप से L1 तय करने के लिए तुलना की जाने वाली वित्तीय बोली का एक हिस्सा है।
- शासकीय नियमानुसार टीडीएस/जीएसटी कटौती की जाएगी।
- आवश्यक कर्मियों की संख्या संस्थागत आवश्यकता के अनुसार घट या बढ़ सकती है।

नोट :–

1. दर में साप्ताहिक अवकाश शामिल है।
2. उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में प्रस्ततु नही की गई बोलियों को सरसरी तौर पर **खारिज कर दिया जाएगा।**

Scanned with CamScanner

चेप्टर – 5: अनुबंध प्रारूप

(रू 100.00 गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बनाया जाना है)

मसौदा समझौता प्रारूप

यह अनुबंध प्रथम पक्ष स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.) एवं द्वितीय पक्ष मेसर्स...

....

के मध्य आज दिनांक .... को निष्पादित है।

अनुबंध की अवधि दिनांक .... से .... तक एक वर्ष के लिये होगी।

अनुबंध का नियम और शर्तें निम्नानुसार है –

1. एजेंसी सुरक्षा कर्मियों से संबंधित विभिन्न श्रम, औद्योगिक और लागू होने वाले किसी भी अन्य कानूनों के प्रावधानों और सभी वैधानिक दायित्वों, जैसे मजदूरी, भत्ते, मुआवजा, ईपीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी, ईएसआई आदि के अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.) का इस संबंध में कोई दायित्व नही होगा।
2. एजेंसी द्वारा स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहीद महेन्द्र कर्मा स्मृति, चिकित्सालय एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.) परिसर पर तैनात कर्मियों के लिए किसी भी दुर्घटना/चिकित्सा/स्वास्थ्य संबंधी देयता/मुआवजे के लिए पूरी तरह से एजेंसी जिम्मेदार होगी। इस संबंध में 'संस्था' की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
3. नियम/शर्तें व अनुबंध का कोई भी उल्लंघन या तथ्यों को छुपाने पर बिना किसी संदर्भ या किसी नोटिस अवधि के अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
4. प्रबंधन सामान्य दशा में एक माह की पूर्व सूचना देकर सुरक्षा ठेका समाप्त कर सकता है परन्तु कंपनी को सामान्य दशा में अनबुंध समाप्त करने हेतु तीन माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। अनुबंध का उल्लघंन एंव चूक करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि जांच के पश्चात् सुरक्षा ठेका निरस्त कर सकेगा एवं ऐसे प्रकरण में जमा की गई प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. अनुबंध का पालन न करने की स्थिति में, 'संस्था' के पास निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित है :–
   - अ. अनुबंध समाप्त और/या
   - ब. अनुबंध के कुल वार्षिक मूल्य का 10% तक का जुर्माना लगाएं।
6. एजेंसी द्वारा स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहीद महेन्द्र कर्मा स्मृति, चिकित्सालय एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.) में तैनात कर्मियों को समय पर मासिक वेतन और किसी अन्य बकाया राशि के भुगतान के लिए पूरी तरह एजेंसी जिम्मेदार होगी।
7. एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षाकर्मी स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहीद महेन्द्र कर्मा स्मृति, चिकित्सालय एवं सुपर स्पेशलिटी

Scanned with CamScanner

हॉस्पिटल, डिमरापाल, जगदलपुर (छ.ग.) के कर्मचारी होने का दावा नही करेंगे और कर्मियों के बीच कोई कर्मचारी और नियोक्ता संबंध नही होगा ।

8. राज्य सरकार द्वारा संशोधित वेतन दर की प्रतिपूर्ति को छोड़कर अनुबंध अवधि के दौरान एजेंसी को देय दरों में कोई वृद्धि नही होगी।

9. एजेंसी समय–समय पर संलग्न नियमों और शर्तो और संशोधनों का पालन करने के लिए भी सहमत है।

10. नियम एवं शर्तो की व्याख्या एवं अनुबंध के संबंध में अधिष्ठाता स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं एजेंसी पर बाध्यकारी होगा।

11. एजेंसी इस अनुबंध के संबंध में भारत के कर कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगी और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। एजेंसी संस्था को इसके संबंध में एजेंसी के कर, ब्याज, दंड आदि की देनदारी के खिलाफ पूरी तरह से क्षतिपूर्ति रखेगी, जो उत्पन्न हो सकती है।

12. एजेंसी और संस्था के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार अधिष्ठाता स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर छत्तीसगढ़ को होगा। हाला की, क्षेत्राधिकार के सभी मामले जगदलपुर स्थित स्थानीय जिला न्यायालय में होंगे।

13. कम्पनी द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु रखे गये समस्त सुरक्षा कर्मचारी अनुबंधित कम्पनी के नियंत्रण में रहेंगे। किसी सुरक्षा कर्मचारी की अनुपस्थिति, अवकाश, बीमारी इत्यादि की स्थिति में कम्पनी को तत्काल बैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। जिसके लिये किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नही होगा।

14. कम्पनी द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु रखे गये प्रत्येक सुरक्षा कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देना होगा। जिस हेतु प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा। कम्पनी द्वारा मासिक रोस्टर तैयार कर प्रभारी अधिकारी से सत्यापित करवाना होगा।

15. प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रतिदिन किसी भी समय कम्पनी द्वारा सुरक्षा हेतु रखे गये सुरक्षा कर्मचारियों की निरीक्षण किया जावेगा। सुरक्षा कर्मचारी किसी बिन्दु पर अनुपस्थित पाये जाने पर कम्पनी को देय मासिक भुगतान राशि से अनुपातिक कटौती की जावेगी। प्रभारी अधिकारी द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी/बायोमेट्रिक उपस्थिति का दैनिक सत्यापन किया जायेगा। कम्पनी को मासिक भुगतान राशि का भुगतान भी प्रभारी अधिकारी द्वारा देयक में माह के दौरान संतोषजनक कार्य संपादन संबंधी प्रमाण पत्र अंकित करने पर ही किया जावेगा। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर दण्डस्वरूप मासिक भुगतान की राशि में अनुपातिक कटौती का अधिकार संस्था प्रमुख को होगा। कम्पनी द्वारा साप्ताहिक उपस्थिति पत्रक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

16. कम्पनी द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु रखे गये सुरक्षा कर्मी के आचरण एवं अनुशासन की जिम्मेदारी कम्पनी की होगी। किसी भी सुरक्षा कर्मचारी के असंवैधानिक अथवा अनैतिक कार्य में लिप्त पाये जाने पर महाविद्यालय/चिकित्सालय प्रबंधन ऐसे सुरक्षा कर्मचारी को

Scanned with CamScanner

तत्काल हटाने के निर्देश दे सकेगा। ऐसे सुरक्षा कर्मचारी के स्थान पर उपयुक्त व्यक्ति की तत्काल रखने की जिम्मेदारी कम्पनी की होगी।

17. यदि किसी मामले में प्रबंधन जांच करना या पुलिस में रिपोर्ट करना आवश्यक समझाता है तो कम्पनी द्वारा इसकी समुचित व्यवस्था की जायेगी तथा प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत होने पर कम्पनी एवं उसके द्वारा रखे गये सुरक्षा कर्मचारी को, जबतक प्रकरण का निबटारा नही हो जाता, तब तक साक्ष्य इत्यादि के लिये उपलब्ध रहना होगा।

18. यदि महाविद्यालय/चिकित्सालय प्रबंधन को आपात व्यवस्था (जैसे हड़ताल आदि) हेतु अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता होती है तो कम्पनी को अस्थाई रूप से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारियों की व्यवस्था करना होगा। जिसका निर्धारित दर से अतिरिक्त भुगतान प्रबंधन द्वारा किया जावेगा।

19. संस्था प्रमुख को यह अधिकार होगा कि यदि कम्पनी द्वारा सुरक्षा कार्य हेतु रखे गये किसी सुरक्षा कर्मचारी को कम्पनी द्वारा श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के शर्तो का पालन न करने, पारिश्रमिक का भुगतान न करने अथवा अवैधानिक तरीके से पारिश्रमिक रोकने के कारण कोई हानि हुई हो तो कम्पनी को देय राशि से अथवा सुरक्षानिधि से उक्त राशि की कटौती कर संबंधित को भुगतान कर दिया जावेगा।

20. कम्पनी द्वारा उक्त कार्य का पूर्ण या आंशिक हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नही किया जा सकेगा।

21. संस्था प्रमुख द्वारा कम्पनी का मासिक भुगतान युक्तियुक्त अवधि में कर दिया जायेगा। किन्तु यदि किसी समय ऐसा संभव न हो तो कम्पनी उक्त देरी हेतु ब्याज अथवा हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नही होगा।

22. यदि कम्पनी को सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है अथवा कम्पनी द्वारा स्वयं को दिवालिया घोषित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है अथवा किसी न्यायालय द्वारा उसे सजा सुनाई जाती है तो संस्था प्रमुख को निविदा निरस्त करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा निधि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

23. कम्पनी द्वारा अनुबंध संपादित करने के पूर्व अनुबंध राशि का तीन प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अधिष्ठाता, स्व0 श्री बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल, जगदलपुर के नाम से जारी एफ.डी.आर./बैंक गारंटी के रूप में होगा। सुरक्षा निधि की वापसी निविदा समाप्त होने के उपरान्त तीन पूर्ण कलेण्डर माह व्यतीत होने पर यदि वसूली लंबित हो तो वसूली की राशि काटकर की जावेगी। किसी प्रकार के विवाद अथवा न्यायालय से प्रकरण लंबित होने की स्थिति में विवाद अथवा प्रकरण के निराकरण के उपरांत ही सुरक्षा निधि लौटाई जावेगी।

24. निविदा दस्तावेज के सभी नियम और शर्ते अनुबंध का हिस्सा होगी और अनुबंध अवधि के दौरान लागू रहेंगी। यह अनुबंध दिनांक .... तक प्रभावी होगा और एक साल के लिए वैध होगा यदि काम संतोषजनक रहा तो अनुबंध को अधिकतम छः माह या 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

बिन्दु क्रमांक 01 से 24 तक उल्लेखित समस्त नियम एवं शर्ते एजेंसी को मान्य है। यदि उक्त नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन एजेंसी के द्वारा किया जाता है तो अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी।

इसके साक्ष्य में दोनो पक्षों ने ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को साक्षी की उपस्थिति में जगदलपुर में यहां पर अपने–अपने हस्ताक्षर और मुहर लगा दी गई है।

(प्रथम पक्ष)
अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
मुहर एवं हस्ताक्षर

1. गवाह –

1. हस्ताक्षर –..
2. नाम...
3. पता...

2. गवाह –

1. हस्ताक्षर –..
2. नाम...
3. पता...

(द्वितीय पक्ष)
एजेंसी
मुहर एवं हस्ताक्षर

1. गवाह –

1. हस्ताक्षर –.....................................
2. नाम..
3. पता..

2. गवाह –

1. हस्ताक्षर –.....................................
2. नाम..
3. पता..

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक "ए"

निविदाकर्ता द्वारा घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम एक फर्म/एजेंसी .... छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में सुरक्षा के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव के साथ जनशक्ति और मैं/हम छत्तीसगढ़ सरकार के न्यूनतम वेतन नियमों के अनुसार मजदूरी प्रदान कर रहे हैं। मेरी एजेंसी/फर्म यातायात सुरक्षा, पार्किंग और अतिक्रमण की निगरानी करने में भी सक्षम है।

स्थान –.....................................

दिनांक –....................................

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मोहर के साथ)

नाम –..

पता –..

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक "बी"

(फर्म के पत्र में और विधिवत नोटरीकृत)

वचन फार्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमनें इस निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए स्वयं वचनबद्ध है।

मैं/हम घोषणा करते है कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है। मैं/हम घोषणा करते है कि मालिक/फर्म/पार्टनर या कंपनी (एजेंसी) के खिलाफ पुलिस के पास कोई मामला लंबित नहीं है। मुझे/हमें किसी भी कानून की अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही मुझें/हमें किसी राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश/भारत सरकार/संगठन या स्वास्थ्य संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है। मैं/हम सहमत है कि निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकारी अमानत राशि को जब्त कर सकता है, या सत्यापन के समय हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत साबित होती है और निविदा के नियम व शर्तों का अनुपालन नही किया जाना पाया जाता है तो मुझे/हमें 02 साल की अवधि के लिए ब्लैक लिस्टेड में डाल सकता है।

स्थान –....................................

दिनांक –....................................

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मोहर के साथ)

नाम –..

पता –..

Scanned with CamScanner

अनुलग्नक "सी"

बोली लगाने वाले का गुणवत्ता आधारित स्कोर कार्ड

स. क्रं.	विवरण	ब्यौरा	अंक
1.	**संगठन क्षमता** फर्म/कंपनी नेट वर्थ पिछले वित्तीय वर्ष 2022–23 में (मार्च–2023 के अंत में जारी नेट वर्थ के लिए सीए प्रमाण पत्र संलग्न करें)	15 लाख से 01 करोड़	3
		01 करोड़ से 03 करोड़	4
		03 करोड़ से 06 करोड़	5
		06 करोड़ से 15 करोड़	6
		15 करोड़ से 30 करोड़	7
		30 करोड़ से 50 करोड़	9
		50 करोड़ से अधिक	10
	निविदाकर्ता ने सरकारी/पीएसयू/स्वायत्त निकाय/प्रतिष्ठित अस्पतालों में पिछले 03 वर्षों में समान प्रकृति का कार्य निष्पादित किया हो।	50 से 100 व्यक्ति तक	3
		100 से 150 व्यक्ति तक	4
		150 से अधिक व्यक्ति तक	5
2.	**वित्तीय विवरण** पिछले 03 वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार (2020–21, 2021–22, 2022–23) (केवल सुरक्षा कार्य से प्राप्त)	15 लाख से 01 करोड़	4
		01 करोड़ से 2.5 करोड़	5
		2.5 करोड़ से 5 करोड़	6
		5 करोड़ से 10 करोड़	7
		10 करोड़ से 15 करोड़	9
		15 करोड़ से अधिक	10
3.	सुरक्षा सेवाओं के क्षेत्र में अनुभव के वर्षों की संख्या	अधिकतम 10 अंकों तक प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक	10
4.	**उपभोक्ता की राय (प्रदर्शन)** समान प्रकृति के कार्य की सेवाएं प्राप्त करने वाले ग्राहक द्वारा सेवा प्रतिक्रया	प्रत्येक ग्राहक प्रमाण पत्र के लिए संतोषजनक – 01 अंक प्रत्येक अच्छा – 02 अंक प्रत्येक बहुत अच्छा– 3 अंक प्रत्येक उत्कृष्ट– 4 अंक प्रत्येक अधिकतम 10 अंक आबंटित किए जाएंगे	10

Scanned with CamScanner

बिड मूल्यांकन मानदंड

निविदा का मूलयांकन QCBS (गुणवत्ता सह लागत आधार चयन) प्रणाली पर किया जाएगा।

- पूर्व योग्यता बोली पर 60% और वित्तीय बोली पर 40% का भार होगा।
- पूर्व योग्यता मानदंड में फिर से प्राप्त अंकों को अनुलग्नक "सी" के अनुसार पूर्व योग्यता बोली के अंको के रूप में माना जाएगा।
- वित्तीय बोली के लिए भार की गणना निम्नानुसार की जाएगी :–

  सबसे कम बोली लगाने वाले को 40 अंक दिए जाएंगे व अन्य निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार वेटेज दिया जाएगा –

  वित्तीय बोली भार = (सबसे कम बोली लगाने वाले द्वारा दर्शाये दर/विचाराधीन निविदाकर्ता द्वारा दर्शाये दर) x 40

  उदारहण के लिए 'अ' यदि सबसे कम बोली लगाने वाले की प्रति व्यक्ति दर्शाये औसत दर रू. 12000 (दर+ईपीएफ+ईएसआईसी+जीएसटी+ओसी) और बोली लगाने वाले x की प्रति व्यक्ति दर्शाये औसत दर x रू. 13000 तो निविदाकर्ता की वित्तीय बोली का भार (12000 x40/13000) = 36.93

  बोली का अंतिम अंक तकनीकी/पूर्व योग्यता बोली भार और वित्तीय बोली भार का योग होगा।

  उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले निविदाकर्ता को अनुबंध प्रदान करने के लिए सफल निविदाकर्ता माना जाएगा।

  ऐसी स्थिति में जहां दो या दो से अधिक निविदाकर्ताओं को समान स्कोर/वेटेज मिलता है, तो सरकारी/पीएसयू/स्वायत्त निकाय/प्रतिष्ठित अस्पतालों में समान प्रकृति के कार्य के निष्पादन के वर्षो के संदर्भ में अधिक अनुभव रखने वाले निविदाकर्ता को एक सफल निविदाकर्ता माना जाएगा जिसके साथ अनुबंध किया जाएगा।

Scanned with CamScanner